140

# न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर

## म.प्र.

PBR/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/3246

रामचन्द्र पिता पूना जी जाति बागरी आयु .....वर्ष

निवासी-ग्राम हसनपालिया तह.पिपलौदा जिला रतलाम म.प्र.....प्रार्थी

बनाम

सम्पतबाई पति नारायण जी जाति बागरी आयु .....वर्ष

निवासी-ग्राम हसनपालिया तह.पिपलौदा जिला रतलाम म.प्र.

.....प्रतिप्रार्थी

**नीगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.**

**निगरानी व नाराजगी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय पिपलौदा के प्रकरण क्रमांक 132 अ 12/16-17 में पारित आदेश दिनांक से असंतुष्ट होकर।**

मान्यवर महोदय ,

प्रार्थी की ओर से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत है :-

**निगरानी के तथ्य**

1. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में एक आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय पिपलौदा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम हसनपालिया स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 253/6 रकबा 300 हेक्टर भूमि का सिमांकन करने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय में पारित किया और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सूचना पत्र जारी नही किया गया ओर ना ही सुनवाई का अवसर दिये बिना ही सिमांकन किया गया जबकि विधि की प्रकिया अनुसार पडोसी कृषको को सूचना पत्र देकर और मोके पर तिमेडा चोमेडा कर तिनो कोनो से

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/3246

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05-12-18 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |